न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/12 **दायरा दिनांक : 11.01.2023**

उनवान

1– शमशेर खां पुत्र श्री गफूर खां जाति मुसलमान
2– चांद मोहम्मद पुत्र ईसब खां जाति मुसलमान
3– पीर मोहम्मद पुत्र इस्माईल खां जाति मुसलमान
4– अब्दुल सलाम पुत्र पुत्र इस्माईल खां जाति मुसलमान
5– अब्दुल सलीम पुत्र इस्माईल खां जाति मुसलमान
6– शहजाद पुत्र श्री रमजानी जाति मुसलमान
7– सिराज पुत्र श्री रमजानी जाति मुसलमान
निवासीगण बमूलिया गजनपुरा तहसील बारां निवासी बल्लभपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारा राज0

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
पेरोकार सरकार श्री संदीप सक्सैना रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 16.08.2024**

ये अपील उपखण्ड अधिकारी बारां के प्रकरण संख्या – 14/2020 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बमूलिया गजनपुरा तहसील बारां में आराजियात नया खाता सं. 257 में खसरा नम्बर 74 रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 75 रकबा 2.31 हेक्टर कुल 2 किता रकबा 2.42 हेक्टर स्थित है जिसके पुराने खसरा नं. 77 व 78 है जिसका कुल रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा दर्ज है। इस खसरा नं. 78 का पुराना 89 रकबा 35 बीघा 14 बिस्वा थे। वाद पत्र में इसे ही विवादित आराजियात के नाम से वर्णित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2022 से वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

16/8/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि विवादित आराजी हाल खाता संख्या 257 के खसरा नं. 74 रकबा 0.11 हे0, खसरा नं. 75 रकबा 2.31 हे0 कुल 2 किता रकबा 2.42 हे0 जिसके साबिक खसरा नं. 77, 78 कुल रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा दर्ज है। इस प्रकार खसरा नं. 78 का पुराना खसरा नं. 771/89 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा जमाबंदी संवत् 1990 से 1993 में अहमद खां एवं भूरे खां थे। अहमद खां लाऔलाद फौत होने से भूरे खां मृतक अहमद खां का एकमात्र उत्तराधिकारी रहा। अहमद खां की मृत्यु उपरांत उक्त आराजी राजस्थान सरकार के नाम खातेदारी में गलत दर्ज कर दी। अहमद खां के खाते की आराजी का उत्तराधिकारी भूरे खां, भूरे खां की मृत्यु उपरांत उसके दो पुत्र गफूर खां एवं बशीर खां के वारिसान अपीलांटगण उक्त विवादित आराजियात के एकमात्र उत्तराधिकारी होने से विवादित आराजी को अपने नाम संयुक्त खाते दर्ज करवाने के अधिकारी होने बाबत् वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। उक्त वाद में राज्य सरकार से जवाब पेश किये, जिसमें विवादित आराजी जमाबंदी बंदोबस्त सम्वत् 1990 से 1993 के अनुसार अहमद खां पुत्र हसन खां की खातेदारी में दर्ज होना स्वीकार किया। वादपत्र की चरण क्रम 02 व 03 जानकारी में न होने से अस्वीकार की और चरण क्रम 04 बाबत् कोई आपत्ति नहीं होना दर्शित किया। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब में उक्त विवादित आराजी अहमद खां की खातेदारी से किस प्रकार दाखिल खारिज की, इस बाबत् जवाब में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। वाद एवं जवाब दावे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दो विवाद्यक विरचित किये गये जिसमें विवाद्यक संख्या 1 का भार वादीगण पर था एवं विवाद्यक संख्या 2 का भार प्रतिवादी पर था। वाद पत्र के समर्थन में वादी पी.डब्ल्यू. –1 शमशेर खां, पी.डब्ल्यू. –2 रामकरण, पी.डब्ल्यू. –3 रामप्रसाद की साक्ष्य पेश की। गवाह शमशेर खां की साक्ष्य में प्रदर्श करवाये गये दस्तावेज प्रदर्श–1, नोटिस 80 सीपीसी, प्रदर्श –2 नकल जमाबंदी, प्रदर्श –3 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श – 4 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श – 5 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श –6 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श –7 नकल खाता अहमद खां, प्रदर्श –8 नकल सम्वत् 1994–1997, प्रदर्श नकल सम्वत् 2006–2009, प्रदर्श –10 नकल खाता हसन खां सम्वत् 1986 से 1989 पेश किये। जिसपर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 19.11.2022 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया।

इसी प्रकार विवाद्यक संख्या 2 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था, इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा जवाब दावे में स्पष्ट कथन किये गये थे, परंतु प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किये गये। प्रतिवादी ने राजस्व रिकार्ड के आधार पर यह नहीं बताया कि अहमद खां के खातेदारी में दर्ज आराजी को किस प्रकार से राजस्थान सरकार के खातेदारी में दर्ज किया। प्रतिवादी विवाद्यक संख्या 02 के भार का निर्वहन करने में असफल रहा है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद्यक 02 को प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित करने में विधि एवं तथ्य की भारी भूल की है। अस्तु निर्णय अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है।

16/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो विवाद्यकों का सुक्ष्मता से विधि अनुरूप विश्लेषण नहीं किया गया तथा दोनो विवाद्यकों की विवेचना भी विधि एवं साम्य के आधार पर विधि अनुरूप नहीं की गयी। विवाद्यकों की विवेचना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि सेटलमेंट की त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतु वादी को धारा 136 एल. आर. एक्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। उक्त दोनों आधार विवाद्यकहीन एवं प्रकिया विधि के सर्वमान्य सिद्धांतों से असंगत एवं न्याय व साम्य के विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध है, जो यथावत रहने योग्य नहीं है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों का दोहराते हुए कथन किया कि सेटलमेंट से पूर्व हसन खां के खाते दर्ज थी। संवत् 1990 से 1993 तक हमारी खातेदारी में थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत् नहीं आने से हमारा यह वाद खारिज कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.बी.जे. (14) 2007 पेज 640 तथा आर.एल.डब्ल्यू. 2006 (1)आर.जे. पेज 290 उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार द्वारा लिखित बहस पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में बताया कि वादी ने विवादित भूमि के संबंध में पर्याप्त रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किये है। वादी द्वारा सेटलमेंट विभाग द्वारा गलती किया जाना बताया गया है। सेटलमेंट की गलती को दुरूस्त करवाने हेतु धारा 136 एल.आर. एक्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। वादी को सरकार भूमि पर खातेदारी नहीं दी जा सकती। अतः आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में अपील निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का फैसला यथावत रखा जाना उचित होगा।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी गहनता से अवलोकन किया गया । वादी–अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा आराजी राज्य सरकार के खाते दर्ज करने के आधार पर प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में लिखा गया कि *"विवादित आराजियात से संबंधित पर्याप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने में विफल रहे है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में पर्याप्त रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। वादी द्वारा इतने समय बाद यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा सेटलमेंट विभाग द्वारा गलती किया जाना बताया है। सेटलमेंट की गलती को दुरूस्त करवाने हेतु धारा 136 एल.आर. एक्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था वादी को सरकारी भूमि पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।"*

16/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में लिखा गया कि वादी द्वारा सेटलमेंट विभाग की गलती को दुरूस्त करवाने हेतु धारा 136 एल.आर.एक्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। वादी अपीलांट द्वारा 88, 89 आरटीएक्ट में वाद प्रस्तुत किया गया जिसका क्षेत्र विस्तृत है जबकि धारा 136 एल.आर.एक्ट संक्षिप्त विचारण प्रकिया है। भू–प्रबन्ध विभाग की त्रुटि सुधार हेतु पूर्ण वाद दायर किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का यह कथन कि 136 एल.आर.एक्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था, त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिखा गया कि इतने लम्बे समय बाद दावा पेश किया गया है। क्या कारण रहा यह साबित नहीं कर पाये है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है। विभिन्न माननीय न्यायालयों के निर्णयानुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद दायर करने की कोई समय सीमा तय नहीं है। खातेदारी अधिकारों की घोषणा अथवा दुरूस्ती का वाद कभी भी लाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी अपीलांट का वाद फोरी तोर पर खारिज किया जाना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय तथ्यों की पूर्ण विवेचना कर गुणावगुण पर पारित किया जाना चाहिए। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण हम अपास्त किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2022 अपास्त किया जाता है और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को जवाब का अवसर देकर, तनकीयात कायम कर, साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देकर, गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.10.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा